

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(धीठारीन अधिकारी संजु मीणा)

आर.ए.एस.
प्रकरण सं./बाद पत्र/एल.आर./75/2019

1. बालू पुत्र श्री मगना गुर्जर कौम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर
अपीलाण्ट
1. राज.सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
बनाम
रेस्पोंडेण्टस

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम
उपस्थित:- श्री महावीर गुर्जर (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 21.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा धांतोल के खसरा नं. 522 रकबा 0.58, 985 रकबा 0.12, 1026 रकबा 0.40, 1027 रकबा 0.10, 1028 रकबा 0.13, 1029 रकबा 0.11, 1030 रकबा 0.17, 1032 रकबा 0.27, 1984 रकबा 0.17, 1985 रकबा 0.03, 1994 रकबा 0.08, 1995 रकबा 0.09, 1996 रकबा 0.20, 2002 रकबा 0.17, 2084 रकबा 0.10, 2085 रकबा 0.37, 2111 रकबा 0.26, 2118 रकबा 0.38, 2127 रकबा 0.28, 2159 रकबा 0.45, 2184 रकबा 0.61 किता-21 रकबा 5.07 हैं जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी करवाना चाहती है। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौरान बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा धांतोल के खसरा नं. 522 रकबा 0.58, 985 रकबा 0.12, 1026 रकबा 0.40, 1027 रकबा 0.10, 1028 रकबा 0.13, 1029 रकबा 0.11, 1030 रकबा 0.17, 1032 रकबा 0.27, 1984 रकबा 0.17, 1985 रकबा 0.03, 1994 रकबा 0.08, 1995 रकबा 0.09, 1996 रकबा 0.20, 2002 रकबा 0.17, 2084 रकबा 0.10, 2085 रकबा 0.37, 2111 रकबा 0.26, 2118 रकबा 0.38, 2127 रकबा 0.28, 2159 रकबा 0.45, 2184 रकबा 0.61 किता-21 रकबा 5.07 हैं प्रार्थी की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक-धांतोल को 1500/-रूपये(अक्षरे एक हजार पांच सौ रू० मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितवद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी वाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फौसल शुमार दर्ज होकर नंबर रो कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया।

(संजु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय